



प्रधान कार्यालय आयकर आयुक्त (न्यायिक)  
कमरा सं. 162-ए, केंद्रीय राजस्व भवन, नई दिल्ली

दूरभाष एवं फ़ैक्स: 23379308, ईमेल: delhi.cit.judicial@incomtax.gov.in

फा.सं.- प्र०आयकर आयुक्त (न्या.)/ उच्चन्यायालय मामला/2024-25/689 दिनांक: 19.11.2024

**उच्च न्यायालय विषयों के मामलों की सुनवाई से संबंधित नोटिस**

इन कंपनियों के खिलाफ दायर रिटों से संबंधित उच्च न्यायालय के मामलों/मामलों के संबंध में आवश्यक अनुपालन के लिए निम्नलिखित कंपनियों और उनके निदेशकों को नोटिस दिया जाता है, जिन्हें नीचे दी गई तालिका में कॉलम संख्या 3 में उल्लिखित तारीखों पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है:-

क्रम.सं. (1)	मामला संख्या एवं मामला शीर्षक उत्तरदाताओ का पता और पै न सं. 2 (2)	सुनवाई की अगली तारीख (3)	कोर्ट नंबर (4)
1.	डब्लू पी सी 816 / 2014 आयकर आयुक्त सेन्ट्रल III बनाम आई टी एस सी एवं एरियल एस्टेट प्रा. लि. आर-2 : एरियल एस्टेट प्रा. लि. 10 टोडरमल लेन, दूसरी मंजिल, बंगाली मार्किट, नई दिल्ली 110001(पैन - AABCJ5695G)	22.11.24	38
2.	डब्लू पी सी 1634/ 2014 आयकर आयुक्त सेन्ट्रल III बनाम जयमाता रियलटोर प्रा. लि. आर-2 : जयमाता रियलटोर प्रा. लि. 10 टोडरमल लेन, दूसरी मंजिल, बंगाली मार्किट, नई दिल्ली 110001(पैन - AANPG5353R)	22.11.24	38

इस संबंध में, इस नोटिस के माध्यम से, उपरोक्त कंपनियों के प्रधान अधिकारियों/निदेशकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है और अनुरोध किया जाता है कि वे उपरोक्त उल्लिखित सुनवाई के लिए निर्धारित तारीखों पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपने संबंधित मामलों में भाग लें।

जबकि उपर्युक्त याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत यह याचिका प्रस्तुत की है और जबकि उक्त याचिका को 14.03.2014 को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था और माननीय न्यायालय ने आपको विभिन्न तिथियों पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था।

और जबकि 11.09.2024 को इस न्यायालय की संतुष्टि के लिए यह साबित हो गया है कि आपको सामान्य तरीके से सेवा नहीं दी जा सकती है। एतद्वारा प्रकाशन के माध्यम से आपको नोटिस जारी किया जाता है कि आपकी ओर से या तो व्यक्तिगत रूप से या आपके द्वारा विधिवत नियुक्त वकील के माध्यम से 22.11.2024 को सुबह 10:30 बजे न्यायालय के समक्ष उपस्थिति दर्ज कराई जाए। सुनवाई की अगली तारीख 22.11.2024 है, जिस तारीख को आपकी ओर से व्यक्तिगत रूप से या इस उद्देश्य के लिए आपके द्वारा विधिवत नियुक्त वकील के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जानी है।

आगे ध्यान दें कि उपरोक्त तिथि को उक्त रिट याचिका में आपके लिए कार्य करने के लिए स्वयं, आपके वकील या कानून द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपकी उपस्थिति में चूक होने पर, उक्त याचिका की सुनवाई की अगली तारीख की कोई और सूचना आपको नहीं दी जाएगी भविष्य में और उक्त रिट याचिका पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में निर्धारित किया जाएगा।

भवदीय,

(हीरा लाल)

आयकर अधिकारी  
(न्यायिक)-3, नई दिल्ली

CBC15403/11/001/2425